निविदा आमंत्रण

INVITATION TOTENDER NOTICE

रद्दी कागज/ रीलकोर की संविदा

Waste Paper / Bare Reel Cores Contract

भारत सरकार मुद्रणालय, शिमला–171004

GOVERNMENT OF INDIA PRESS, SHIMLA-171004

संख्या–डी.24012/2/(रद्दी कागज)/2017–18/भण्डार II/ दिनॉक /02/2017

No.D-24012/2/ (W.P.)/2017-18/Stores-II/ Dated_____/0 2 /2017

सेवा में/TO

विषय–प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, शिमला के कार्यालय परिसर से दिनांक 01–04–2017 से 31–03–2018 तक सभी प्रकार के रद्दी कागज के विक्रय की निविदा के लिए आमंत्रण।

Sub:- Invitation to tender for sale of waste paper arising from the premises of the office oftheManager , Govt. of India Press Shimla From 01-04-2017 to 31-03-2018.

प्रिय महोदय,

Dear Sirs,

भारत के राष्ट्रपति के लिए और उनकी ओर से आपको सूचित करता हूँ कि प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय,शिमला के कार्यालय के परिसर से सभी प्रकार के रद्दी कागज और रील कोर के लिए विहित प्रारूप में, देाहरे मोहर बन्द लिफाफे मे निविदाऐं आमंत्रित की जाती है।

रद्दी कागज की अनुमानित मात्रा 77 कुन्तल और रील कोर शुन्य कुन्तल ।

अग्रिम धन अपेक्षित रुपए–.............(रुपए------ शुन्य -----------------)

I have the honour to inform you, for and on behalf of the President of India, that Tenders are invited in double sealed covers in the prescribed form, as per specimen enclosed upto 2-30 P.M on 19-4-2017 for all sorts of waste papers from the premises of the office of the Manager Govt. of India Press, Shimla.

Approximate quantity of waste paper would be 77 quintals. &.**Nil** quintal of Reel cores.

Earnest Money required Rupees---------------(Rupees ----------------------- ----Thousand).

2. निविदा के साथ (I) अलग अग्रिम धन निक्षेप (उपरोक्त के अनुसार)किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से मॉगदेय ड्राफ्ट के रूप में प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, शिमला के पक्ष शिमला में देय हो, अग्रिम धन निक्षेप के रूप में चैक/ नकद स्वीकार नही किए जाएगे। कोई भी निविदा जिसके साथ अग्रिम धन निक्षेप विहित रूप में नही होगा अस्वीकार/रद्द की जा सकती है। (II) चालू आयकर निकासी प्रमाण पत्र विहित रूप में प्रस्तुत करना होगा। "उपरोक्त मद की दरें एक एकल निविदा में दी जाय। निविदा प्रस्तुत करते हुए यह द्वि बोली पद्धति में होनी चाहिए, जो कि बोली मूल्य संयम धन निक्षेप । ये बोलियॉं अलग लिफाफे में मोहर बन्द होनी चाहिए। एक लिफाफे में बाहर ऊपर मोटे अक्षरों में मूल्य बोली और दूसरे लिफाफे में संयम धन निक्षेप बोली। इन दोनों लिफाफों को एक मुख्य लिफाफे में डला जाना चाहिए । जिसके ऊपर भी मद का नाम,निविदा संख्या, खोले जाने की तारीख और निविदाकार का नाम लिखा होना चाहिए। जिस लिफाफे में अग्रिम धन निक्षेप होगा तथा जिसे पहले खोला जाएगा,यदि वह बिना अग्रिम धन निक्षेप का होगा तथा धन निक्षेप उचित फार्म में नही होंगे तो बोली मूल्यवाला लिफाफा बिलकुल नही खोला जाएगा तथा वह प्रस्थापना स्वयमेव ही अस्वीकृत मानी जाएगी ।""सभी निविदाकार यह नोट लें कि केवल अग्रिम धन निर्धारित दरों के साथ प्राप्त प्रस्थापना पर ही विचार किया जाएगा तथा अग्रिम घन के बिना और अग्रिम धन उचित फार्म में न होने पर प्राप्त प्रस्थापना को अस्वीकार कर दिया जाएगा ।"

2. The tenders should be accompanied i) separate E.M.D. (as mentioned above) in the form of Demand Draft of any Nationalized Bank in favour of the Manager,Govt.of India, Shimla ,payable at Shimla, Cheques/Cash will not be accepted as Earnest Money Deposit. Any tender which is not accompanied by the Earnest Money in the prescribed form, is liable to be ignored/cancelled. ii) Current Income Tax Clearance Certificate to be submitted in the prescribed form. "The Rates for above item may be given in one single Tender. While submitting tender it should be in 2-BID SYSTEM i.e. PRICE BID and EMD BID. These BIDs should be sealed in separate Cover duly super scribed in bold letters as PRICE BID on One envelope and EMD BID on other envelope. These two covers should be put in one Main sealed cover which should also be super scribed with Name of the item, tender no. Opening date and name of the Tenderer. In case the envelope/cover containing EMD, which will be opened first, is found without EMD or EMD not in proper form, then the envelope containing PRICE BID will not be opened at all and that offer will automatically stand rejected." "All the renderers may please note that offers with Earnest Money Deposit at the prescribed rate shall only be considered and offer without E.M.D. and E.M.D not in proper form shall be ignored."

3. यदि निविदाकार अपनी प्रस्थापना से पीछे हटेगा या यदि निविदाकार निविदा स्वीकार कर लिए जाने पर आगामी पैरा 5 के अनुसार प्रतिभूति जमा कराने पर असफल रहेगा तो अग्रिम धन सरकार को पूर्णतः समापहृत हो जाएगा । यह बात अवश्य समझ ली जानी चाहिए आपकी ओर से इस अनुबंध की प्रतीक स्वरूप आपको निविदा की दस्तावेज दी जाएगी और आपको निविदा करने दी जाएगी, कि निविदा प्रस्तुत करने के पश्चात आप अपनी प्रस्थापना से पीछे नही हटेंगें या उसके निबंधनों और शर्तो को उपान्तरित नही करेंगे। यदि आप पूर्वगामी अनुबन्ध का पालन–अनुपालन करने में असमर्थ रहेंगे तो अग्रिम धन सरकारी खाते में समापहृत हो जाएगा ।

3. The Earnest Money Deposit will be forfeited by Govt. in full if the Tenderer resile from the offer or if the tender is accepted but the Tenderer fails to deposit Security Deposit Money *vide Para* 5 below. It must be understood that the tender documents would be issued to you and you would be permitted to tender in consideration of the stipulation on your part that after submitting the tender you will not resile from your offer or modify the Terms and Conditions thereof and if you fail to observe and comply with foregoing stipulation the Earnest Money Deposit will be forfeited to Government Account.

4. असफल निविदाकारों का अग्रिम धन उनको वापस कर दिया जाएगा, किन्तु अग्रिम धन सरकार के पास रहने के दौरान उसे होने वाली किसी हानि या अवक्षमण के लिए जिम्मेदार नही होंगा और उस पर ब्याज के संदाय की आदायगी नही होगी ।

4. The Earnest Money Deposit will be returned to the unsuccessful Tenderer but Govt. shall not be responsible for any loss or depreciation that may occur to it while in their possession nor be liable to pay interest thereon.

5. इस कार्यालय से प्रस्थापना प्राप्त होने पर सफल निविदाकार को प्रस्थापना की स्वीकृति की पुष्टि सम्प्रेषण की पावती के दस दिनों के भीतर करनी होगी। उस प्रस्थपना की स्वीकृति पर उसे प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, शिमला के साथ एक करारनामा का कार्यान्वयन और अपेक्षित प्रतिभूति राशि अलग से जमा करनी होगी। ऐसी प्रतिभूति राशि भारतीय स्टेट बैंक या राष्ट्रीयकृत बैंक से आवधिक निक्षेप या मॉग पर निक्षेप रशीद के रूप में प्रबन्धक,भारत सरकार मुद्रणालय, शिमला के नाम प्रतिभूत हो। सफल निविदाकार द्वारा पूर्वोक्त 10 दिनों की अवधि के भीतर विहित करारनामा फार्म हस्ताक्षरित करना होगा।

5. On getting the offer from this office the successful Tenderershould submit his confirmation of acceptance of offer within 10 days of the receipt of the communication. On acceptance of said offer he is to execute an Agreement with the Manager of this Press and the requisite Security Deposit (separately). Such Security Deposit may be in the form of Fixed Deposit or Deposit at Call Receipt from the State Bank of India or Nationalized Bank pledged to the Manager, Govt. of India Press, Shimla. The prescribed Agreement form will have also to be signed by the successful Tenderer within aforesaid period of 10 days.

6. निविदा एक दोहरे मोहर बन्द लिफाफों में प्रस्तुत की जानी चाहिए। जिसके ऊपर "सब प्रकार के रद्दी कागज/रील कोर(जिस भी मद के लिए निविदा की है) लिखा जाना चाहिए। और वह प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय,शिमला–4 के पत्ते पर उसके नाम से इस प्रकार भेजी जानी चाहिए जिससे कि उसके पास तारीख–19.4.2017 को 2.30 बजे अप्राह्न या इसके पूर्व पहुँच जाय"।

6. The tender should be submitted in one double sealed cover, which should be super scribed "Quotation for Waste Paper of all sorts/Salvage paper/Bare Reel cores(as for the item quoted for)" and addressed by the name Manager, Govt. of India Press, Shimla so as to reach him, on or before 2.30 p.m. on 19-04-2017.

7.संचित सामग्री उठाने के लिए अपेक्षित सभी बोरों, बक्सों, वाहनो,कुलियों व माप तोल की व्यवस्था चुने हुए निविदाकारों द्वारा स्वयं की जाएगी। सफल निविदाकार द्वारा अपने खर्चे पर गॉठें बनाई जाऐंगी और उसे मुद्रणालय परिसर में छँटाई करने की स्वीकृति नही दी जाएगी।

7. All bags, boxes, vehicles, coolies, weighing scales etc required to weigh and remove the material shall be engaged by the selected Tenderer. The baling will be done by the successful Tenderer at his own expenses and he will not be allowed to do the sorting of the material in the Press premises.

8. निविदाऐं प्रबन्धक,भारत सरकार मुद्रणालय, शिमला द्वारा तारीख 19.4.2017अप्राह्न 2.30 बजे, ऐसे निविदाकारों या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधियों की उपस्थिति में खोली जाएगी जो निविदा के खोले जाने के समय उपस्थित रहना चाहें।

8. Tenders will be opened by the Manager, Govt. of India Press, Shimla on19-04-2017 at 2.30 p.m. in the presence of such of Tenderers or their authorized representatives who may like to be present at the time of opening of the Tender.

9. यदि करारनामा के लम्बित रहने के दौरान हि० प्र० विक्रय कर प्राधिकारी भारत सरकार मुद्रणालय, शिमला को हि०प्र० राज्य के विक्रय कर अधिनियम के अधीन व्यापारी के रूप में पंजीकृत करता है तो संविदाकार राज्य विक्रय प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित दरों पर संविदा के लम्बित रहने के दौरान ठेकेदार द्वारा हटाई गई संचय के विक्रय के विक्रय प्राप्ति पर समय–समय पर संविदा दर के अतिरिक्त विक्रय का देने के लिए दायी होगा। संविदाकार को आयकर स्रोत पर। (एक) प्रतिशत आयकर जमा अधिभार यदि लागू हो तो अदा करना होगा ।

9. If during the pendency of the contract the Sales Tax authorities of the Govt. of H.P. require the Govt. of India Press, Shimla to get itself registered as a 'Dealer' under the Sales Tax Act in the State of H.P. the contractor(s) will be liable to pay Sales Tax at the rate prescribed by the Sales Tax authorities from time to time in addition to the contract rate on the sale proceeds of the material, removed by the Contractor/s during the pendency of the contract. **The contractor will also have to pay 1% Income tax at source plus Surcharge if applicable.**

10. संविदा करारनामा के निष्पादन प्रवधानों के अनुसार निविदाकार/संविदाकार यदि संचित सामग्री नियमित तौर पर उठाने में असफल रहता है तो वह प्रति सप्ताह न उठाए गए रद्दी कागज की कीमत का 2 प्रतिशत तहजमीनी प्रभार का दायी होगा। रद्दी कागज और रीलकोर के बारे में एक ट्रक की खेप संचित होने पर सूचित किया जाएगा ।यदि ठेकेदार उसे तीन सप्ताह की अवधि में नही उठाता है तो न उठाए गए संचय की कीमत का2 प्रतिशत तहजमीनी प्रभार प्रभारित किया जाएगा ।

10. The Tenderer/Contractor will be liable to pay 2% Ground Rent charges per week of the value of unlifted Waste Paper if he fails to lift material regularly as per the provisions of contract Agreement to be executed. As regards Salvage paper and Bare Reel Cores the contractor will be intimated about lifting when approximate a truck load is accumulated. If the contractor has not lifted the same within a period of 3(Three) weeks, the Ground Rent at 2% will be charged per week on the value of unlifted material.

11. भारत के राष्ट्रपति किन्हीं या सभी निविदाओं को कोई भी कारण बताए हुए बिना स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार रखते हैं और अधिकतम या किसी अन्य निविदा को स्वीकार करने को आबद्ध नही हैं। भारत के राष्ट्रपति इस निविदा आमंत्रण मे वर्णित रद्दी कागज ,रीलकोर की मदों या प्रवर्गो को स्वीकार करने और अन्य मद या मदों के लिए किसी अन्य निविदाकार को देने का अधिकार भी आरक्षित रखते हैं ।

11. The President of India reserves the right of accepting or rejecting any or all the tenders without assigning any reason whatsoever and do not bind him to accept the highest or any other tender. The President of India also reserves the right of accepting the tender for items, Categories of Waste Paper, Salvage paper, Bare Reel Cores mentioned in this tender inquiry and to award the contract for other item or items to another Tenderer.

12. निविदाकारों को स्पष्टतया चेतावनी दी जाती है कि निविदा पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति निम्नलिखित का उल्लेख अवश्य करें अर्थात:-

(I) क्या वे फर्म के "एकमात्र स्वत्वधारी" के रूप में हस्ताक्षर कर रहे हैं ?

(II)क्या वे फर्म के "रजिस्ट्रीकृत सकिय" भागीदार के रूप में हस्ताक्षर कर रहे हैं?

(III) क्या वे फर्म के निमित अर्थात उसके लिए प्राधिकृत किए जाने पर हस्ताक्षर कर रहे हैं? (IV) कम्पनियों और रजिस्ट्रिकृत फर्मो की दशा में, क्या वे सचिव, प्रबन्धक, भागीदार, निदेशक आदि के रूप में हस्ताक्षर कर रहे हैं? और इस प्रकार हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति ऐसा करने के लिए किस प्रकार प्राधिकृत है? जिस दस्तावेज के अधीन ऐसा प्रधिकार दिया गया है उसकी एक प्रति ,यदि पहले ही प्रबन्धक,भारत सरकार मुद्रणालय, शिमला को नही भेजी गई हो तो निविदा के साथ भेजी जानी चाहिए।

12. Tenderers are hereby explicitly warned that individual signing tender must specify as follows:-

(i) Whether signing as "Sole Proprietor" of the Firm.

(ii) Whether signing as a "Registered Active Partner" of the Firm.

(iii) Whether signing for the Firm i.e. per procuration.

(iv) In the case of companies and registered firms, whether signing as Secretary, Manager, Partner, Director etc., and individuals so signing are authorized to do so. A copy of any document under which such authority is given should be forwarded with the tender, if a copy has not already been sent to the Manager, Govt. of India Press, Shimla-4.

13. निविदा प्रारूप या संविदा को भाग रूप किसी दस्तावेज पर किसी अन्य व्यक्ति या किसी फर्म की ओर से हस्ताक्षर करने वाला व्यक्ति अपने पक्ष में सम्यक रूप से निष्पादित ऐसा समुचित मुख्तारनामा प्रस्तुत करने के लिए जिम्मेदार होगा, जिसमें यह कथन किया गया हो कि उसे यथास्थिति,ऐसे अन्य व्यक्ति या फर्म के सभी भागीदारों का मध्यस्थ खण्ड सहित संविदा से सम्बन्धित सभी मामलों मे आबद्ध करने का प्राधिकार है। यदि इस प्रकार हस्ताक्षर करने वाला व्यक्ति बाद में युक्तियुक्त समय के भीतर उक्त मुख्तारनामा प्रस्तुत करने में असफल रहे तो प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय,शिमला-4 अन्य सिविल और दण्डिक उपचारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना हानि के लिए उत्तरदायी ठहरा सकता है ।

13. A person signing the Tender form or any document forming part of the contract on behalf of another or on behalf of a firm shall be responsible to produce proper power of attorney duly executed in his favour stating that he has authority to bind such other person or all the Partners of the firm as the case may be in all matters pertaining to the Contract including arbitration clause. If subsequently, the person so signing fails to provide the said power of attorney, within a reasonable time, the Manager, Govt. of India Press; Shimla-4 may without prejudice to other Civil and Criminal remedies cancel the Contract and hold the signatory liable for all costs and damages.

14. निविदाकार द्वारा अनुसरण किए जाने वाले अनुदेश और संविदा की साधारण शर्त जो उस संविदा पर लागू होगी जो आपकी निविदा और भारत के राष्ट्रपति के लिए और उनकी ओर से उसके स्वीकार कर लिए जाने से अस्तित्व में आएगी, निविदा के विहित प्रारूप के साथ आपकी जानकारी के लिए संलग्न है। आपके द्वारा निविदा किए जाने की यह एक विवाक्षित शर्त होगी कि आपकी प्रस्थापना स्वीकार कर लिए जाने की दशा में आप इन दस्तावेजों में अन्तर्विष्ट सभी निबंधनों और शर्तो का पालन करेंगे

14. Instructions to be followed by the Tenders and General conditions of Contract which will govern any contract which may eventuate from your tender and acceptance of the same for and on behalf of the President of India along with the prescribed form of tender are enclosed for your information. It will be an implied condition of the submission of a tender by you that in the event of your offer being accepted, you will have to abide by the all the terms and conditions contained in those docum

भवदीय
Yours faithfully

प्रबन्धक Manager

Govt. of IndiaPress,Shimla
भारत के राष्ट्रपति के लिए औरउनकी ओर से
For and behalf of the President of India

"निविदाकरों के लिए अनुदेश और संविदा की साधारण शर्तें"

"INSTRUCTIONS TO TENDERERS AND GENERAL CONDITIONS OF CONTRACT"

01.यह संविदा 01.04.2017 से आरम्भ होगी और 31.03.2018 को समाप्त होगी। किन्तु सरकार ठेकेदार को लिखित सूचना देकर,इसकी अवधि पूर्वोक्त बादवाली तारीख से आगे अधिक से अधिक दो माह के लिए बढ़ा सकेगी ।

01. The Contract will commence from **1-4-2017**and will end on **31-3-2018** but may be extended further by Govt. for a period not exceeding two months beyond the later date aforesaid by giving notice in writing to the contractor.

02.भारतीय मुद्रा में प्रतिकिलो ग्राम सपाट दर उद्धृत की जानी चाहिए ।

02. Flat rate per Kgs in Indian Currency should be quoted for each item.

03.निविदाओं के साथ बैंक का गारंटी/ बैंक ड्राफ्ट अवश्य होना चाहिए ।

03. Tenders must be accompanied by a Bank Gaurntee/ DD.

04.निविदा के साथ आयकर विभाग का प्रमाणपत्र अवश्य होना चाहिए ।जिसमें यह दर्शित हो कि ठीक पूर्ववर्ती तीन वित्तीय वर्षो के अतं तक के आयकर की शोध्य रकम का संदाय कर दिया गया, ऐसा करने में असफल रहने पर निविदा अस्वीकार की जा सकती है ।

04. Tenders must be accompanied by a certificate from the Income Tax Department showing that payment of Income Tax dues up to the end of the immediately preceding three financial years have been paid failing which the tender is liable to be rejected.

05.अग्रिम धन निक्षेप पर व्याज नही दिया जाएगा ।

05. No Interest will be payable on Earnest Money Deposits.

06.भारत के राष्ट्रपति किसी भी निविदा को स्वीकार या अस्वीकार कर सकेगें और वे उसके लिए कारण बताने को आबद्ध नही हैं । राष्ट्रपति निविदा में वर्णित रद्दी कागज की मदों या प्रवर्गों में से किसी एक मद के लिए निविदा स्वकार करने और अन्य मद या मदों के लिए संविदा किसी अन्य निविदाकार को देने का अधिकार भी अपने पास आरक्षित रखते हैं ।

06. The President of India may accept or reject any tender and is not bound to assign reasons therefore. The President of India also reserves to himself the right to accepting the tender for one of the items or Categories of Waste Paper mentioned in this tender inquiry and to award the contract for other item or items to another tender.

07.यह संविदा दर संविदा है और इस बारे में कोई गारंटी /प्रत्याभूति नही दी जा सकती है कि संविदा के दौरान सचित सामग्री उपलब्ध होगी ।

07. The Contract is a rate contract and no Guarantee can be given as to the quantity of the material which will be available during the period of the contract.

08.किसी भी प्रकार के रद्दी कागज की छंटाई की अनुज्ञा नही दी जाएगी ।

08. No sorting of Waste Paper of any kind will be permitted.

09.निविदाकार निविदा प्रस्तुत करने के लिए विहित प्रारूप पर किसी भी दशा में परिवर्तन, परिवर्धन या विकृति नही करेगा ।

09. In no circumstances will a renderer to make any alteration, addition or mutilation on the prescribed form Submission of tender.

10. यदि संविदा किसी भगीदार फर्म से की जाती है तो करारपर सभी भगीदारों के हस्ताक्षर करने होंगे । यदि संविदा किसी लिमिटिड कम्पनी से की जाती है तो उस कम्पनी को करार का निष्पादन अपने अनुच्छेदों के अनुसार करना होगा ।

10. In the case of Contract being awarded to a Partnership Firm, the Agreement will have to be signed by all the Partners. In case the Contract is awarded to a Limited Company, such Company must execute the Agreement according to its articles of Association.